भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4669
जिसका उत्तर शुक्रवार, 28 मार्च, 2025 को दिया जाना है

न्यायालयों में लंबित मामलों का निपटान

4669. डॉ. संबित पात्रा :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों और निचली अदालतों में लंबित मामलों की गणना के लिए कोई तंत्र विकसित किया गया है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार द्वारा न्यायालयों में लंबित मामलों के शीघ्र निपटान के लिए कुछ उपाय किए गए हैं और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या न्यायालयों में लंबित मामलों के शीघ्र निपटान के लिए वैकल्पिक विवाद निवारण प्रणाली की सफलता के आकलन के संबंध में कोई अध्ययन किया गया है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(घ) क्या न्यायालयों में लंबित मामलों के शीघ्र निपटान के लिए मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, वाणिज्यिक न्यायालयों में आकलन का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) : ई-न्यायालय परियोजना के अधीन विकसित राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी) एक ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है जो सभी स्तरों के न्यायालयों अर्थात् भारत के उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों और निचले न्यायालयों में वास्तविक समय के आधार पर सभी मामलों से संबंधित जानकारी प्रदान करता है। पोर्टल की 'लंबित डैशबोर्ड' सुविधा सिविल और आपराधिक दोनों तरह के मामलों के लिए लंबित मामलों की जानकारी होस्ट करती है, जिसमें मामलों की आयु, चरण और प्रकार के आधार पर ड्रिल-डाउन विश्लेषण करने की योग्यता होती है।

(ख) : लंबित न्यायालय मामलों का निपटारा न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में आता है। तथापि, केंद्रीय सरकार संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन मामलों के शीघ्र निपटारे और लंबित मामलों को कम करने के प्रति अटूट रूप से प्रतिबद्ध है ।इस उद्देश्य से, सरकार ने न्यायपालिका द्वारा मामलों के तेजी से निपटारे के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करने के लिए कई पहल की हैं, जो इस प्रकार हैं:

i. न्याय वितरण और विधिक सुधारों के लिए राष्ट्रीय मिशन की स्थापना अगस्त, 2011 में की गई थी, जिसके दोहरे उद्देश्य थे - प्रणाली में देरी और बकाया को कम करके पहुँच बढ़ाना और संरचनात्मक परिवर्तनों के माध्यम से जवाबदेही बढ़ाना तथा प्रदर्शन मानकों और क्षमताओं को निर्धारित करना ।मिशन, न्यायिक प्रशासन में बकाया और लंबित मामलों के चरणबद्ध परिसमापन के लिए एक समन्वित दृष्टिकोण अपना रहा है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ कम्प्यूटरीकरण सहित न्यायालयों के लिए बेहतर अवसंरचना, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की स्वीकृत पद संख्या में वृद्धि, अत्यधिक मुकदमेबाजी वाले क्षेत्रों में नीति और विधायी उपाय और मामलों के त्वरित निपटान के लिए न्यायालय प्रक्रिया की पुनः इंजीनियरिंग और मानव संसाधन विकास पर जोर देना शामिल है।

ii. न्यायिक अवसंरचना के विकास के लिए केंद्र प्रायोजित स्कीम के अधीन, राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को न्यायालय हॉल, न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासीय क्वार्टर, वकीलों के हॉल, शौचालय परिसर और डिजिटल कंप्यूटर कक्षों के निर्माण के लिए निधि जारी की जा रही है, जिससे मुवक्किलों सहित विभिन्न पणधारियों का जीवन आसान हो सके और न्याय प्रदान करने में सहायता मिले ।वर्ष 1993-94 में न्यायपालिका के लिए अवसंरचना सुविधाओं के विकास के लिए केंद्र प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) के आरंभ से लेकर 28.02.2025 तक 11886.29 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। इस स्कीम के अधीन न्यायालय कक्षों की संख्या 30.06.2014 को 15,818 से बढ़कर 28.02.2025 को 22,062 हो गई है तथा आवासीय इकाइयों की संख्या 30.06.2014 को 10,211 से बढ़कर 28.02.2025 को 19,775 हो गई है।

iii. इसके अतिरिक्त, ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना के चरण-1 और चरण-2 के अधीन, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की आईटी सक्षमता के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का लाभ उठाया गया है। 2023 तक 18,735 जिला और अधीनस्थ न्यायालयों को कंप्यूटरीकृत किया गया ।99.5% न्यायालय परिसरों को डब्ल्यूएएन कनेक्टिविटी प्रदान की गई है। 3,240 न्यायालय परिसरों और 1,272 तत्स्थानी जेलों के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा सक्षम की गई है ।तारीख 31.01.2025 तक जिला न्यायालयों में 1572 ई-सेवा केंद्रों और उच्च न्यायालयों में 39 ई-सेवा केंद्रों को वकीलों और मुवक्किलों को नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करके डिजिटल डिवाइड को पाटने के लिए कार्यात्मक बनाया गया है। 21 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में 28 आभासी न्यायालय स्थापित किए गए हैं। तारीख 31.01.2025 तक इन न्यायालयों ने 6.66 करोड़ मामलों की सुनवाई की और 714.99 करोड़ रूपए से अधिक जुर्माने के रूप में वसूल किए ।कैबिनेट ने तारीख 13.09.2023 को 7,210 करोड़ रुपये के परिव्यय पर ई-न्यायालय परियोजना के तीसरे चरण को मंजूरी दे दी है। चरण-1 और चरण-2 के लाभों को अगले स्तर पर ले जाते हुए, ई-न्यायालय चरण-3 का उद्देश्य डिजिटल, ऑनलाइन और कागज रहित न्यायालयों की ओर बढ़ते हुए न्याय की सुगमता की व्यवस्था को आरंभ करना है। इसका उद्देश्य न्याय वितरण को सभी पणधारियों के लिए उत्तरोत्तर अधिक मजबूत, आसान और सुलभ बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), ब्लॉक चेन आदि जैसी नवीनतम तकनीक को शामिल करना है।

iv. सरकार, भारत के उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के रिक्त पदों को नियमित रूप से भरती रही है। 01.05.2014 से 20.03.2025 तक उच्चतम न्यायालय में 67 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई। इसी अवधि के दौरान उच्च न्यायालयों में 1030 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई और 791 अपर न्यायाधीशों को स्थायी किया गया। उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की स्वीकृत पद संख्या मई, 2014 में 906 से बढ़कर अब तक 1122 हो गई है। जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत और कार्यरत पद संख्या में निम्नानुसार वृद्धि हुई है:

निम्नलिखित तारीख तक	स्वीकृत पद संख्या	कार्यरत पद संख्या
31.12.2013	19,518	15,115
28.02.2025	25,786	20,511

स्रोत: न्याय विभाग का एमआईएस पोर्टल

तथापि, जिला और अधीनस्थ न्यायपालिका में रिक्तियों को भरना राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकारों और संबंधित उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में आता है।

v. अप्रैल, 2015 में आयोजित मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन में पारित प्रस्ताव के अनुसरण में, पांच साल से अधिक समय से लंबित मामलों को निपटाने के लिए सभी 25 उच्च न्यायालयों में बकाया समितियों का गठन किया गया है। जिला न्यायालयों के अधीन भी बकाया समितियों का गठन किया गया है।

vi. चौदहवें वित्त आयोग के तत्वावधान में जघन्य अपराधों, वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, बच्चों आदि से जुड़े मामलों से निपटने के लिए त्वरित निपटान न्यायालय की स्थापना

की गई है। 31.01.2025 तक देश भर में 860 त्वरित निपटान न्यायालय कार्यरत हैं। निर्वाचित सांसदों/विधायकों से जुड़े आपराधिक मामलों को त्वरित निपटान करने के लिए नौ (9) राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में दस (10) विशेष न्यायालय कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त, केंद्रीय सरकार ने बलात्कार और पॉक्सो अधिनियम के लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए देश भर में त्वरित निपटान विशेष न्यायालय (एफटीएससी) स्थापित करने की योजना को मंजूरी दी है। तारीख 31.01.2025 तक देश भर के 30 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में 404 विशेष पॉक्सो (ई-पॉक्सो) न्यायालयों सहित 745 एफटीएससी कार्यरत हैं, जिन्होंने 3,06,000 से अधिक मामलों का निपटारा किया है।

vii. न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या कम करने और कामकाज को सुचारू करने के उद्देश्य से सरकार ने विभिन्न विधियों में संशोधन किया है, जैसे कि परक्राम्य लिखत (संशोधन) अधिनियम, 2018, वाणिज्यिक न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2018, विनिर्दिष्ट अनुतोष (संशोधन) अधिनियम, 2018, मध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2019 और दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 ।

viii. वैकल्पिक विवाद समाधान विधियों को पूरे दिल से बढ़ावा दिया गया है। तदनुसार, वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 को अगस्त, 2018 में संशोधित किया गया था, जिससे वाणिज्यिक विवादों के मामले में संस्थन-पूर्व मध्यस्थता और निपटान (पीआईएमएस) अनिवार्य हो गया। पीआईएमएस तंत्र की दक्षता को और बढ़ाने के लिए, सरकार ने मध्यस्थम् अधिनियम, 2023 के माध्यम से वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 में और संशोधन किया है। विवादों के त्वरित समाधान में तेजी लाने के लिए मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 में वर्ष 2015, वर्ष 2019 और वर्ष 2021 में संशोधन किए गए हैं।

वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 के अधीन, मामला प्रबंधन सुनवाई का उपबंध है जो किसी मामले के कुशल, प्रभावी और उद्देश्यपूर्ण न्यायिक प्रबंधन के लिए उपबंध करता है ताकि विवाद का समय पर और गुणवत्तापूर्ण समाधान प्राप्त किया जा सके। यह तथ्य और विधि के विवादित मुद्दों की शीघ्र पहचान, मामले के जीवन के लिए प्रक्रियात्मक कैलेंडर की स्थापना और विवाद के समाधान की संभावनाओं की खोज में सहायता करता है।

वाणिज्यिक न्यायालयों के लिए आरंभ की गई एक अन्य नवीन विशेषता रंग बैंडिंग की प्रणाली है, जो किसी भी वाणिज्यिक मामले में दी जाने वाली स्थगन की संख्या को तीन तक सीमित कर देती है तथा न्यायाधीशों को लंबित मामलों के चरण के अनुसार मामलों को सूचीबद्ध करने के बारे में सचेत करती है।

ix. लोक अदालत आम लोगों के लिए उपलब्ध एक महत्वपूर्ण वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र है। यह एक ऐसा मंच है जहाँ न्यायालय में लंबित या मुकदमेबाजी से पहले के विवादों/मामलों का सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटारा/समझौता किया जाता है। विधिक सेवा प्राधिकरण (एलएसए) अधिनियम, 1987 के अधीन, लोक अदालत द्वारा दिया गया निर्णय सिविल न्यायालय की डिक्री माना जाता है और यह अंतिम होता है तथा सभी पक्षों पर बाध्यकारी होता है तथा इसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई अपील नहीं की जा सकती। लोक अदालत कोई स्थायी स्थापन नहीं है। राष्ट्रीय लोक अदालतें सभी तालुकों, जिलों और उच्च न्यायालयों में एक साथ पूर्वनिर्धारित तारीख पर आयोजित की जाती हैं पिछले चार वर्षों के दौरान राष्ट्रीय लोक अदालतों में निपटाए गए मामलों का विवरण निम्नानुसार है: -

वर्ष	मुकदमेबाजी-पूर्व मामले	लंबित मामले	कुल योग
2021	72,06,294	55,81,743	1,27,88,037
2022	3,10,15,215	1,09,10,795	4,19,26,010
2023	7,10,32,980	1,43,09,237	8,53,42,217
2024	8,70,19,059	1,75,07,060	10,45,26,119
कुल	**19,62,73,548**	**4,83,08,835**	**24,45,82,383**

x. सरकार ने 2017 में टेली-लॉ कार्यक्रम आरंभ किया, जो ग्राम पंचायतों में स्थित कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) पर उपलब्ध वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेलीफोन और चैट सुविधाओं और टेली-लॉ मोबाइल ऐप के माध्यम से पैनल वकीलों के साथ विधिक सलाह और परामर्श चाहने वाले जरूरतमंद और वंचित वर्गों को जोड़ने वाला एक प्रभावी और विश्वसनीय ई-इंटरफेस प्लेटफॉर्म प्रदान करता है।

*टेली-लॉ डाटा का प्रतिशत-वार ब्यौरा

वर्ग	**रजिस्ट्रीकृत मामले**	**%-वार ब्रेक अप**	**दी गई सलाह**	**%-वार ब्रेक अप**
लिंग-वार				
महिला	43,50,146	39.53%	42,92,045	39.49%
पुरुष	66,55,274	60.47%	65,77,616	60.51%
जाति श्रेणी-वार				
सामान्य	25,94,779	23.58%	25,54,696	23.50%
अन्य पिछड़ा वर्ग	34,67,629	31.51%	34,21,343	31.48%
अनुसूचित जाति	34,55,009	31.39%	34,19,433	31.46%
अनुसूचित जनजाति	14,88,003	13.52%	14,74,189	13.56%
कुल	**1,10,05,420**		**1,08,69,661**	

*डाटा तारीख 28.02.2025 तक.

xi. देश में प्रो बोनो संस्कृति और प्रो बोनो वकालत को संस्थागत बनाने के प्रयास किए गए हैं। एक तकनीकी ढांचा तैयार किया गया है, जहाँ प्रो बोनो कार्य के लिए अपना समय और सेवाएँ देने वाले अधिवक्ता न्याय बंधु (एंड्रॉइड और आईओएस और ऐप्स) पर प्रो बोनो अधिवक्ता के रूप में रजिस्टर कर सकते हैं। न्याय बंधु सेवाएँ उमंग प्लेटफ़ॉर्म पर भी उपलब्ध हैं। राज्य/संघ राज्यक्षेत्र स्तर पर 23 उच्च न्यायालयों में अधिवक्ताओं का प्रो बोनो पैनल आरंभ किया गया है। नवोदित वकीलों में प्रो बोनो संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए 109 विधि विद्यालयों में प्रो-बोनो क्लब आरंभ किए गए हैं।

(ग) और (घ) : न्यायालयों में लंबित मामलों के शीघ्र निपटान के लिए वैकल्पिक विवाद निवारण प्रणाली की सफलता के संबंध में कोई अध्ययन/मूल्यांकन नहीं किया गया है इसके अतिरिक्त, वर्तमान में, न्यायालयों में लंबित मामलों के शीघ्र निपटान के लिए मध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, वाणिज्यिक न्यायालयों में मूल्यांकन के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

******